



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 168-2021/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, OCTOBER 14, 2021 (ASVINA 22, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 14 अक्टूबर, 2021

क्रमांक नं० डी०ई०एण्ड सी०सी०एच०/३०६०.— पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा-3 की उप-3 की उप-धारा (3) एवं अधिसूचना संख्या S.O. 1533 (E) दिनांक 14 सितम्बर, 2006, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उनके अनुसरण में राज्य स्तरीय राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) और राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) का गठन बी श्रेणी की परियोजनाओं पर विचार करने एवं उन पर निर्माण लेने के लिए राज्य स्तर पर किया गया है। SEAC अन्य बातों के साथ-साथ, श्रेणी बी के तहत प्रस्तावित आवेदनों पर उपयुक्त संदर्भ की शर्तों की जांच और सुझाव, सार्वजनिक सुनवाई के प्रस्ताव और रिपोर्टों को सुनने के बाद देते हैं और अन्य सभी प्रासंगिक दस्तावेजों की जांच करते हैं। उक्त प्राधिकरण पर्यावरण स्वीकृति प्रदान करने के लिए समिति की सिफारिश पर भी निर्णय लेगा।

चूंकि ध्यानपूर्वक विचार विमर्श के उपरांत, राज्य सरकार द्वारा संवीक्षा शुल्क पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना संख्या S.O. 1533 (E) दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के अंतर्गत स्थापित राज्य स्तरीय राज्य पर्यावरण प्रभाव प्राधिकरण द्वारा आंकलन की मांग करने वाली परियोजनाओं पर लागू करने का निर्णय निम्नलिखित तरीके से लिया गया है:

परियोजना की लागत	जांच शुल्क (रूपये में)
5 करोड़ तक	50,000
5-25 करोड़	1 लाख
25-100 करोड़	1.5 लाख
100 करोड़ से अधिक	2 लाख
प्रमुख खनिज जैसे लोहा, बॉक्साइट, क्रोमाइट, चूना पत्थर, कोयला आदि का क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक है।	2 लाख
प्रमुख खनिज जैसे लोहा, बॉक्साइट, क्रोमाइट, चूना पत्थर, कोयला आदि का क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर तक है।	1 लाख
लघु खनिज जैसे कार्टज, पत्थर और ग्रेफाइट आदि 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र।	1.5 लाख
लघु खनिज जैसे कार्टज, पत्थर और ग्रेफाइट आदि 5 हेक्टेयर तक का क्षेत्र।	75,000

परियोजना प्रस्तावक द्वारा देय संवीक्षा शुल्क बैंक ड्राफ्ट के रूप में सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, पंचकुला, के पक्ष में पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत पर्यावरण मंजूरी के लिए आवेदन के साथ देय होगा। यह प्राधिकरण या समिति के पास लंबित सभी मामलों पर भी लागू होगा।

इस प्रकार एकत्र की गई संवीक्षा को निम्नलिखित मद में जमा किया जाएगा—

Major Head	1475-Other General Economic Services
Sub Major Head	51-N.A.
Minor Head	800-Other Receipts
Sub Head	96-Scrutiny Fee for Projects Seeking Environmental Clearance from State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA)
Description of Scheme in Hindi	राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण से पर्यावरण मंजूरी की मांग करने वाली परियोजनाओं के लिए जांच शुल्क
Detailed Head	51-N.A.
Object Head	00-No Standard object head

एस० एन० राय,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
ENVIRONMENT & CLIMATE CHANGE DEPARTMENT

Notification

The 14th October, 2021

No. DE & CCH/3060.— Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section-3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of their Notification Number S.O. 1533 (E) dated the 14th September, 2006, have constituted the State Level, State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) and a Committee namely State Expert Appraisal Committee (SEAC) to consider and take decisions on the projects that come under Category “B” as per the said notification at the State level. SEAC shall further scrutinize interalia, the applications proposed under Category “B”, examine and suggest suitable terms of reference after hearing the proposal and reports of Public hearing and examine all other relevant documents. The said authority shall also take decision on the recommendation of the Committee for grant of Environmental clearance.

Whereas after careful consideration, it is decided by the State Government to impose scrutiny fees for projects seeking clearance of the State level State Environment Impact Assessment Authority, under the Environment Impact Assessment Notification Number S.O. 1533(E) dated 14th September, 2006 in the following manner:-

Project Cost	Scrutiny Fee (in Rs.)
Upto 5 crores	50,000
5-25 crores	1 lac
25-100 crores	1.5 lac
More than 100 crores	2 lac
Major Minerals like iron, Bauxite chromites, lime stone, coal etc. area more than 5 hac.	2 lac
Major Minerals like iron, Bauxite chromites, lime stone, coal etc. area upto 5 hac.	1 lac
Minor Minerals like quartz, stone and graphite etc. area more than 5 hac.	1.5 lac
Minor Minerals like quartz, stone and graphite etc. area upto 5 hac.	75,000

The project proponent will pay scrutiny fees in the shape of Bank Draft payable in favour of the Member Secretary, State Environment Impact Assessment Authority, Haryana, at the time of applying for environmental clearance of the projects under the EIA Notification, 2006. This will also be applicable to all the cases pending with the Authority or the Committee.

The scrutiny, so collected, shall be deposited under the following head:-

Major Head	1475-Other General Economic Services
Sub Major Head	51-N.A.
Minor Head	800-Other Receipts
Sub Head	96-Scrutiny Fee for Projects Seeking Environmental Clearance from State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA)
Description of Scheme in Hindi	राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण से पर्यावरण मंजूरी की मांग करने वाली परियोजनाओं के लिए जांच शुल्क
Detailed Head	51-N.A.
Object Head	00-No Standard object head

S. N. ROY,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Environment & Climate Change Department.